कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–ब/22838/2017–18/130 दिनांक : 16.12.19

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा

विषय : गणतन्त्र दिवस समारोह–2020 के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 18 (01) शिक्षा–2 /2018 जयपुर दिनांक : 29.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विगत वर्षों की भांति गणतन्त्र दिवस समारोह–2020 (26 जनवरी, 2020 को आयोज्य) के अवसर पर लोक कलाकारों आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ियों तैराक आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा–पत्र प्रदान किये जाने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं के अनुसार आपके क्षेत्राधिकार में पात्र व्यक्तियों को जिला कलक्टर द्वारा अपनी अनुषंशा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक : 20.12.2019 तक प्रेषित किये जावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

जारी सं. 5522
22/11

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

JS-II

विषयः– गणतंत्र दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

(3) 21/11/19

आगामी गणतंत्र दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंषा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.12.2019 तक प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण व सक्षम स्तर से अनुमोदन (संबंधित मंत्री महोदय) प्राप्त कर विभागीय अनुशंषा के साथ प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 02.01.2020 तक भिजवाया जावें।
3. उक्त प्रस्ताव 8 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का उल्लेख अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जावे।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टयां पूर्ण की जावे।
5. राज्य स्तरीय समारोह (गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस) में प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित व्यक्तियों/संस्थाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे जावे तथा यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में प्रशस्ति–पत्र पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

ASR 22/XI/19

कृपया उक्त प्रस्ताव दिनांक 02.01.2020 तक उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूरी कर मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

संलग्नः प्रपत्र।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

अशा० टीप क्रमांकः प0 25(6)मंमं/2019
जयपुर, दिनांकः 18/11/19
प्रतिलिपिः

1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0, जयपुर।
7. प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.12.2019 तक संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 02.01.2020 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/ सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
8. प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

18/11/2019
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

गणतंत्र दिवस समारोह–2020 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **जिला कलेक्टर** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई–मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण:
7. इनके विरूद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो उसका विवरण:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलेक्टर की टिप्पणी:
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा कैसी है:–

जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक: